भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3050
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

त्योहारों के दौरान हवाई किराया विनियमन

3050. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर दिसंबर, 2025 से जनवरी, 2026 में आने वाले क्रिसमस और नए साल के समय को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छुट्टियों और त्योहारों के अवधि के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई किराए पर सीमा लगाने या उसे नियंत्रित करने जैसे नियामक उपाय लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पाये गए हवाई किराए के रुझान और किराए में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराए पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कोई निर्देश लागू हैं और यदि हां, तो निगरानी तंत्र और गैर-अनुपालन के लिए दंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और साथ ही व्यस्त समय के दौरान एयरलाइन की व्यवहार्यता को प्रभावित किए बिना किफायती हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक कदम क्या हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं होते हैं और एयरलाइनों के पास वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किरायों को निर्धारित करने का लचीलापन होता है।

हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और माँग के मौलिक आर्थिक कारकों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होता है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता, सीजनल उतार-चढ़ाव और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सरकार बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आम तौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, तथापि वह महामारी, महाकुंभ, श्रीनगर में पहलगाम हमला और हाल ही में इंडिगो एयरलाइन द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधान जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए सतर्क निगरानीकर्ता की भूमिका में रहती है।

ऐसे मामलों में सरकार ने यात्रियों की सुविधा और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को कम करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी किराया सीमा का निर्धारण या क्षमता का पुनर्वितरण किया था।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक रूप से, चयनित 78 मार्गों पर हवाई किरायों की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें अपने द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया नहीं वसूलें। इसमें घरेलू यातायात का लगभग 27% शामिल है। ऐसा करने से, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

*****